न्यायालय उपायुक्त, पाकुड़

पी0ए0 अपील वाद सं0–05 / 2021–22

मनोज कुमार साहा
बनाम
विप्लव दे एवं अन्य

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

आदेश

04.03.2023

यह अपीलवाद, अपीलकर्त्ता, मनोज कुमार साहा, पिता–स्व0 पांडव साहा, सा–दुलमीडांगा, थाना–हिरणपुर, जिला–पाकुड़ के द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ के न्यायालय के पी0ए0 वाद सं0–38 / 2019–2020 (साथ में पी0ए0 वाद सं0–27 / 2021–22 संलग्न) में दिनांक 21.01.20222 को पारित आदेश के विरूद्ध (1) विप्लव दे, पिता–स्व0 अधरेन्द्र नाथ दे सा0–दुलमीडांगा, थाना–हिरणपुर, जिला–पाकुड़ (2) 16 आना रैयत मौजा–दुलमीडांगा, थाना–हिरणपुर एवं (3) अंचल अधिकारी, हिरणपुर को पक्षकर बनाते हुए दाखिल किया गया है

मामला संक्षेप में यह है कि इस वाद के अपीलकर्त्ता मनोज कुमार साहा एवं उत्तरवादी स0–01 विप्लव दे के द्वारा मौजा–दुलमीडांगा का स्वयं को ग्राम प्रधान नियुक्त करने हेतु निम्न न्यायालय में अलग–अलग आवेदन दाखिल किया गया, जिसके आधार पर क्रमशः पी0ए0 वाद सं0–38 / 2019–2020 एवं पी0ए0 वाद सं0–27 / 2021–22 संस्थित किया गया। पी0ए0 वाद सं0–27 / 2021–22 को पी0ए0 वाद सं0–38 / 2019–2020 में संलग्न कर सुनवाई की गई। पी0ए0 वाद सं0–38 / 2019–2020 में दिनांक 21.01.2022 को पारित आदेश द्वारा विप्लव दे (उत्तरवादी स0–02) को SPT Act 1949 की धारा 5 के तहत ग्राम प्रधान नियुक्त किया गया। यह अपीलवाद निम्न न्यायालय द्वारा पारित इसी आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

उभय पक्ष क विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अंतिम बहस को सावधानीपूर्वक सुना गया। अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत मौजा–दुलमीडांगा एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के खतियानी प्रधान गुरूदयाल साहा थे। अपीलकर्त्ता गुरूदयाल साहा के भाई भुवन चन्द्र साहा के वंशज हैं। अपीलकर्त्ता द्वारा वंशानुगत आधार पर अपना आवेदन दिया गया था। परन्तु निम्न न्यायालय द्वारा उनके वंशानुगत दावे को खारिज किए बिना धारा–5 के तहत गलत तरीके से ग्राम प्रधान की बहाली कर दी गई। खास मौजा में भी सर्वप्रथम वंशानुगत आधार पर किए गए दावे को

contd....

Scanned with CamScanner

आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

निष्पादन करना चाहिए। निम्न न्यायालय द्वारा बिना जमाबन्दी सूची मंगाए ही केवल राजस्व उपनिरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के आधार पर प्रधान की नियुक्ति कर दी गई। 2/3 जमाबन्दी रैयतों की सहमति अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा स्वयं अपने समक्ष नहीं ली गई। राजस्व उपनिरीक्षक को धारा 5 के तहत मतदान कराने की शक्ति नहीं है। उनके द्वारा अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया।

उत्तरवादी स0–01 का कहना है कि प्रश्नगत मौजा–दुलमीडांगा एक प्रधानी मौजा है तथा उक्त मौजा के खतियानी प्रधान गुरूदयाल साहा थे। खतियानी प्रधान की मृत्यु के बाद कोई प्रधान नियुक्त नहीं हुआ। इस प्रकार मौजा खास हो गया है। खास मौजा मे SPT Act 1949 की धारा–5 के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जानी है। निम्न न्यायालय के आदेश पर सुरेन्द्रनाथ साहा की अध्यक्षता में दिनांक 25.02.2021 को मौजा दुलमीडांगा में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें चार आवेदन सुषेनचन्द्र साहा, विप्लव दे, मनोज कुमार साहा एवं शरदेन्दु शेखर के द्वारा बहाली हेतु आवेदन दिया गया। ग्राम सभा में गुपत मतदान करया गया जिसमें विप्लव दे को सर्वाधिक मत 127 प्राप्त हुआ। इस आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा उत्तरवादी स0–01 की नियुक्ति प्रधान पद पर की गई। अपीलकर्त्ता खतियानी प्रधान के भाई के वंशज है। अतः वंशानुगत आधार पर उनका दावा नहीं बनता है। उनके द्वारा अपील आवेदन अस्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखने का अनुरोध किया गया।

संपूर्ण अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रश्नगत मौजा के खतियानी प्रधान की मृत्यु के बाद से ही मौजा में प्रधान का पद रिक्त है। अपीलकर्त्ता द्वारा यह दावा किया गया है कि वे खतियानी प्रधान के भाई के वंशज है। अपीलकर्त्ता खतियानी प्रधान के Next heir नहीं है। अतः वंशानुगत आधार पर उनका दावा उचित नहीं है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा 5 एवं 6 के तहत ग्राम प्रधान की बहाली करने के समय को SPT Rule 1950 के नियम 3 एवं सेड्यूल V का अनुपालन किया जाना है। प्रश्नगत मामले में न तो जमाबन्दी रैयतों की सूची प्राप्त की गई और न ही 2/3 जमाबन्दी रैयतों का Consent प्राप्त किया गया। विधि द्वारा जो शक्ति अनुमंडल पदाधिकारी को प्रदत्त है उस शक्ति का उपयोग राजस्व उपनिरीक्षक अथवा अंचल अधिकारी नहीं कर सकते हैं। स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा को SPT

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
1	2	3

Act 1949 की धारा 5 एवं SPT Rule 1950 के नियम 3 का अनुपालन नहीं किया गया एवं नियमों की अवहेलना की गई।

उपर्युक्त परिपेक्ष्य में अपील आवेदन आंशिक स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय के आदेश को निरस्त (Set-aside) किया जाता है। यह वाद इस आदेश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची के WP(c) No. 5014/2008 तपो देवी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 14.06.2022 को पारित आदेश तथा SPT Act 1949 की धारा 5 एवं SPT Rule 1950 के नियम 3 का अनुसारण कर साठ दिनों के अन्दर मामले का निष्पादन करेंगे।

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को आदेश का अवलोकन करा दें।

लेखापित एवं संशोधित।

उ पी यु क्त,
पाकुड़।

उ पी यु क्त,
पाकुड़।

Digitally signed by VARUN RANJAN
Date: 2023.04.27 15:16:24 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:34cb:8006:3557:abab

Scanned with CamScanner